न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2018-00221RAAJodhpur2018-79RTA223 Kewalram Vs Bhanwarlal etc
2018-00222RAAJodhpur2018-78RTA223 kewalram Vs Bhanwarlal etc

केवलराम पुत्र श्री धुलाराम, जाति माली, निवासी कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. भंवरलाल पुत्र श्री रामसुख,
2. हीराराम पुत्र श्री रामसुख,
3. कैलीदेवी पत्नी श्री भंवरलाल
   सभी जातियान जाट, निवासीगण– मालावास, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
4. पूसकी पत्नी श्री देवाराम, जाति सरगरा,
5. कालूराम पुत्र श्री देवाराम, जाति सरगरा,
6. सेठूराम पुत्र श्री देवाराम, जाति सरगरा,
7. बाबुलाल पुत्र श्री देवाराम, जाति सरगरा**(नाम तर्क)**
8. गजरी पुत्री श्री देवाराम, जाति सरगरा,
9. लीला पुत्री श्री देवाराम, जाति सरगरा,
10. श्यामलाल पुत्र श्री ओमाराम, जाति सरगरा,
11. ओमाराम पुत्र श्री धीसाराम, जाति सरगरा,
12. हिमताराम पुत्र श्री धीताराम, जाति सरगरा,
13. श्यामलाल पुत्र श्री धीसाराम, जाति सरगरा,
14. चन्दुराम पुत्र श्री घीसाराम, जाति सरगरा,
15. सुशीला पुत्री श्री घीसाराम, जाति सरगरा,
16. परमा पुत्री श्री घीसाराम, जाति सरगरा,
17. हिमताराम पुत्र श्री घीसाराम, जाति सरगरा,
18. परमाई पत्नी श्री नेनाराम, जाति धोबी
19. बाबुलाल पुत्र श्री नेनाराम, जाति धोबी
20. रामाकिशन पुत्र श्री नेनाराम, जाति धोबी
21. दिनेश कुमार पुत्र श्री नेनाराम, जाति धोबी
22. भंवरी पुत्री श्री नेनाराम, जाति धोबी
23. मुना पुत्री श्री नेनाराम, जाति धोबी
24. नीमा पुत्री श्री नेनाराम, जाति धोबी

25. कंचन पुत्री श्री नेनाराम, जाति धोबी
26. ममता पुत्री श्री नेनाराम, जाति धोबी
27. भुटाराम पुत्र श्री शिवनाथराम, जाति माली
28. रामुराम पुत्र श्री शिवनाथराम, जाति माली
29. मादुराम पुत्र श्री शिवनाथराम, जाति माली
30. रामदीन पुत्र श्री शिवनाथराम, जाति माली

सभी निवासीगण– ग्राम कोसाणा, तहसील पीपाड़शहर, जिला जोधपुर।

31. सरकार जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2017
सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या
132/2009 भंवरलाल बनाम देवाराम इत्यादि**

———————

(2) 2018-00222RAAJodhpur2018-78RTA223 kewalram Vs Bhanwarlal etc

केवलराम पुत्र श्री धुलाराम, जाति माली, निवासी कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

**ब
ना
म**

1. भंवरलाल पुत्र श्री रामसुख,
2. हीराराम पुत्र श्री रामसुख,
3. कैलीदेवी पत्नी श्री भंवरलाल

सभी जातियान जाट, निवासीगण– मालावास, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

4. पूसकी पत्नी श्री देवाराम, जाति सरगरा,
5. कालूराम पुत्र श्री देवाराम, जाति सरगरा,
6. सेठूराम पुत्र श्री देवाराम, जाति सरगरा,
7. बाबुलाल पुत्र श्री देवाराम, जाति सरगरा**(नाम तर्क)**
8. गजरी पुत्री श्री देवाराम, जाति सरगरा,

9. लीला पुत्री श्री देवाराम, जाति सरगरा,
10. श्यामलाल पुत्र श्री ओमाराम, जाति सरगरा,
11. ओमाराम पुत्र श्री धीसाराम, जाति सरगरा,
12. हिमताराम पुत्र श्री धीताराम, जाति सरगरा,
13. श्यामलाल पुत्र श्री धीसाराम, जाति सरगरा,
14. चन्दुराम पुत्र श्री घीसाराम, जाति सरगरा,
15. सुशीला पुत्री श्री घीसाराम, जाति सरगरा,
16. परमा पुत्री श्री घीसाराम, जाति सरगरा,
17. हिमताराम पुत्र श्री घीसाराम, जाति सरगरा,
18. परमाई पत्नी श्री नेनाराम, जाति धोबी
19. बाबुलाल पुत्र श्री नेनाराम, जाति धोबी
20. रामाकिशन पुत्र श्री नेनाराम, जाति धोबी
21. दिनेश कुमार पुत्र श्री नेनाराम, जाति धोबी
22. भंवरी पुत्री श्री नेनाराम, जाति धोबी
23. मुना पुत्री श्री नेनाराम, जाति धोबी
24. नीमा पुत्री श्री नेनाराम, जाति धोबी
25. कंचन पुत्री श्री नेनाराम, जाति धोबी
26. ममता पुत्री श्री नेनाराम, जाति धोबी
27. भुटाराम पुत्र श्री शिवनाथराम, जाति माली
28. रामुराम पुत्र श्री शिवनाथराम, जाति माली
29. मादुराम पुत्र श्री शिवनाथराम, जाति माली
30. रामदीन पुत्र श्री शिवनाथराम, जाति माली

सभी निवासीगण– ग्राम कोसाणा, तहसील पीपाड़शहर, जिला जोधपुर।

31. सरकार जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 जून 2017
सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या
132/2009 भंवरलाल बनाम देवाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री बाबुलाल विष्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सी.आर. चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 31

नि र्ण य

दिनांक : 15 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 132/2009 अनवान भंवरलाल बनाम देवाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2017 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 जून 2017 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में एक–एक निर्णय प्रति रखी जावे।

अपीलांट द्वारा दोनो अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 81 मिन रकबा 89.11 बीघा ग्राम मालावास तहसील पीपाड़ शहर के संबंध में धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तत्पष्चात विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2009 को वाद में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसके विरूद्ध अदालत हाजा में अपील संख्या 2009/29 अनवान घीसाराम बनाम भंवरलाल प्रस्तुत की गई। अदालत हाजा द्वारा उक्त अपील आंषिक रूप से स्वीकार कर मामला विचारण न्यायालय को विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2017 पारित कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया, जिसके विरूद्ध अपील संख्या 2018/79 प्रस्तुत की गई। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19

जून 2017 पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2017 की जानकारी अपीलांट को नहीं रही व न ही अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को इसके बाबत कोई सूचना दी। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह कह रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी तो आपको सुचित कर देंगे, परन्तु किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी एवं सम्पर्क करने पर यह बताया जाता रहा कि आपका मामला ठीक चल रहा है। अपीलांट अपने खेत में जहां काबिज व काश्त है, वहां खेती करने गया तब प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने अपीलांट के आड़े फिरकर कहा कि अब इस जगह तुम खेती नहीं कर सकता, जबकि मौके पर न ही पत्थरगढी की हुई है और न ही चिन्ह कायम किये हुए। माठे जो पूर्व में जहां थी वहीं पर मौजुद है। उक्त माठों के बीच अपीलांट खेती करने गया, तब कहा गया कि खेत नपवाकर खेती करो अन्यथा खेत नहीं जोतने देंगे। कारण पूछने पर बताया कि मैंने फैसला करवा दिया है। तब दिनांक 05.06.2018 को अपीलांट अपने अधिवक्ता के पास गया, उनसे सम्पर्क किया तो उन्होने नकल हेतु आवेदन किया एवं नकलें दिनांक 06.06.2018 को दिलाई। अपीलांट उक्त नकले लेकर दिनांक 07.06.2018 को अधिवक्ता बाबुलाल बिश्नोई से सम्पर्क किया तो उन्होने अपील करने की सलाह दी एवं साथ ही यह कहा कि अभी वकीलों की हड़तालें चल रही है। हड़तालें खत्म होते ही आप मेरे पास आ जाना अपील पेश करेंगे। हड़ताल दिनांक 25.06.2018 को खत्म हुई, तब अधिवक्ता से पुनः सम्पर्क अपील तैयार करवाई जाकर जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अपीलांट ने जानबूझकर या उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलम्ब नहीं किया है, उक्त विलम्ब सद्भावी था, जो अक्षम्य योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार फरमायी जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में बताये गये पड़ौस के अनुसार मौके पर काबिज काष्त नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष द्वारा किये गये कथनों के अनुसार तनकीयात

विरचित नही ंकिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण को उस स्थल का खातेदार घोषित किया गया, जहां पर उनका कब्जा काष्त नहीं है। प्रतिवादी ने अपने अभिवचनों का इस तथ्य का खण्डन भी किया था एवं मुख्य रूप से विवाद का बिन्दु ही यही है कि आया वादी कहां काबिज है एवं काबिज सुदा भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है या नहीं। तात्पर्य यह रहा कि विचारण न्यायालय द्वारा विवाद की जड़ को बिना छुए ही मनमाने रूप से निर्णय पारित कर दिया गया है। वादीगण की ओर से बेचाननामे प्रदर्श–1 जो प्रस्तुत किया गया है, वह बेचाननामा खसरा नम्बर 81 के बाबत है तथा बेचाननामा प्रदर्श–2 खसरा नम्बर 81 मिन के बाबत है। वादीगण का वाद पत्र खसरा नम्बर 81 मिन के संबंध में है एवं विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा नम्बर 81 मिन में से 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का निर्णय वादी के पक्ष में किया है। यानि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि जिस खसरे के बाबत निर्णय किया जा रहा है उसका यह खातेदार है या नहीं। विद्ववान अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को वादी के पक्ष में निर्णित करने में भारी त्रुटी कारित की है। वादी इस तथ्य को प्रमाणित करने में बिल्कुल असफल रहा है कि वह खसरा नम्बर 81 मिन का खातेदार घोषित होने के काबिल है। दस्तावेज प्रदर्श–1 खसरा नम्बर 81 मिन से सम्बन्धित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि वादी ने जिन पड़ौसियों के बीच अपना कब्जा बताया है, उन पड़ौसियों के मध्य कब्जा होना भी प्रमाणित नहीं हुआ है। इसलिए तनकी संख्या 1 को वादी कतई प्रमाणित नहीं कर सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी दृष्टि से बिना किसी पुष्ट दस्तावेजों के तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में निर्णित कर दी जो अपास्त योग्य है। तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णित करने में भारी त्रुटी कारित की है। जब वादी यह प्रमाणित करने में असफल हो जाता है कि अमुक खसरे में अमुक स्थान पर वादी काबिज है तो निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कब्जेधारी के अलावा किसी अन्य के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वादी ने बेचाननामों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया एवं बेचाननामे में वर्णित खसरे हस्तगत वाद के खसरों से मेल नहीं खाते है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या तीन पर विचारण न्यायलय का मत विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। विद्वान अधीनस्व न्यायालय ने तनकी संख्या 4 वादी के पक्ष में निर्णत करने में भारी त्रुटी कारित की है, क्योंकि सम्यक रूप से वाद पत्र को पढ़ने से

एवं प्रस्तुत सुदा एवं प्रदर्शित सुदा दस्तावेज एवं गवाहों के बयानों के परिषीलन से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर के दस्तावेज वादी के पास नहीं है अर्थात विवादित स्थल के बाबत वादी का वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है।यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की आज दिनांक पालना नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 11 की भूमि ही अलग कर बंटवाड़ा करवाने का आदेश पारित करने में भारी त्रुटी कारित की है जो निर्णय अपास्त योग्य है। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री खसरा नंबर 81 मिन के संबंध में पारित की एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री खसरा नंबर 81/1 के संबंध में पारित की जो दोनो विरोधाभासी होने से अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव भी पक्षकारान् की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2017 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 जून 2017 को खारिज किया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन/वादीगण की खातेदार गमू खां, कालूखां पुत्र अलादीनखां से खरीदसुदा आराजी है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण द्वारा ट्यूबवेल खुदवाया हुआ तथा वादीगण मौके पर काबिज होकर काष्त कर रहे है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिनुसार निस्तारण के निर्देष दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देषों की पालना में उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। मौके पर पक्षकारान् के मध्य कब्जे काष्त को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है तथा न ही

किसी दस्तावेज से यह तथ्य सामने आया है कि वादी अथवा प्रतिवादीगण की जमीन मौके पर कम है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचाराधीन होने के कारण आज दिनांक तक अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा उभय पक्ष की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वक्त निर्णय पारित करते अपीलांट जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित था। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेष की, जिसका कोई सद्भाविक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2017 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 जून 2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 24 जुलाई 2009 में प्रदत निर्देषों की पालना में उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले का तनकीवार विवेचन करते हुए प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते वक्त अपीलांट केवलराम अपने अधिवक्ता श्री हिमताराम गहलोत के जरिये विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर रहा है तथा अपीलांट की ओर विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपीले अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित होने के क्रमषः लगभग 01 वर्ष 06 माह तथा 1 वर्ष बाद दिनांक 03 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है तथा विलंब का कारण केवल अधिवक्ता द्वारा सूचित नहीं किया जाना बताया गया है जो प्रथमदृष्टया सद्भाविक कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में किये गये कथन मिथ्या एवं बनावटी पाये जाने से अदालत हाजा

की दृष्टि में सद्भाविक एवं विष्वास योग्य नही ठहरते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील कालवर्जित पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम खारिज किया जाता है एवं दोनो अपीले कालवर्जित पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 132/2009 अनवान भंवरलाल बनाम देवाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2017 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 जून 2017 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर